मौलिक अधिकार

मूल अधिकार व्यक्ति विशेष के वैसे अधिकार हैं जो उसे किसी देश का नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं, तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये अधिकार देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के मनमाने तथा तानाशाही कार्यों के विरूद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करते हैं।

भारत के संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक व्यक्ति के मूल अधिकारों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। भाग 3 को **भारत का मैग्नाकार्टा** की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि इसमें एक लम्बी और विस्तृत सूची में व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित रहे हैं। साथ ही यह मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के प्रावधानों से भी प्रभावित हैं। परिणामस्वरूप हमारे संविधान में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण मिलता है, उतना विश्व के किसी अन्य देश में नहीं मिलता, अमेरिका के संविधान में भी नहीं।

भारत के मूल संविधान में मूल अधिकारों का सात समूहों में वर्गीकरण किया गया है। जिसमें से एक महत्वपूर्ण मूल अधिकार सम्पति के अधिकार को संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 19(1)(च) जो कि स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत है और अनुच्देद 31 का मौलिक अधिकारों के भाग से लोप कर दिया गया है और इन्हें अनुच्छेद 300क में सामान्य कानूनों के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। इस प्रकार अब संविधान में मूल अधिकारों की 6 श्रेणियों के अंतर्गत गारंटी दी गई है,

1. समानता का अधिकार, जिसमें विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14), धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थल के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15), लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16), अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध (अनुच्छेद 17), सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाए सभी उपाधियों पर रोक (अनुच्छेद 18)।

2. स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें भाषण तथा अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ बनाने, भारत के किसी भी भाग में जाने और निवास करने तथा बस जाने और कोई भी पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार (अनुच्छेद 19) अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20), प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 21), प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21क) तथा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार सम्मिलित है।

3. शोषण के विरूद्ध अधिकार, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के बलात् श्रम और मानव के दुर्व्यापार का निषेध (अनुच्छेद 23) तथा कारखानों आदी में बाल श्रम का प्रतिषेध (अनुच्छेद 24) किया गया है।

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत अंतः करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25), धार्मिक कार्यो के प्रबंध की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26), किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संस्था की अभिवृद्धि या पोषण के लिए करों का संदाय करने के सबंध में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27), कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबेध में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28) सम्मिलित है।

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को बनाए रखने (अनुच्छेद 29) तथा अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन (अनुच्छेद 30) के अधिकार सं संबंधित है।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) संविधान प्रदत् सभी मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को संविधान प्रदत्त अधिकारों की व्यवस्था करता है।

अनुच्छेद 33 से 35 संसद को शक्ति देते हैं कि वह सैन्य बलों पर प्रयुक्ति के बारे में संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत मूल अधिकारों को संशोधित या परिवर्तित कर सकता है। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसका उद्देश्य उनमें कर्तव्यों के निर्वहन तथा अनुशासन को बनाए रखना है।

अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब देश के किसी हिस्से में अशांति, दंगों या कानून के उल्लंघन के कारण मार्शल लॉ लागू होता है। ऐसे क्षेत्रों में संघ और राज्य के अधीन काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को उन क्षेत्रों में व्यवस्था को बनाए रखने या बहाल करने के लिए किए गए किसी भी कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति अर्थात् दण्डमुक्ति का प्रावधान होता है। क्योंकि, ऐसे अशान्त क्षेत्रों में अधिकारियों को ऐसे असाधारण अधिकार मिल जाते हैं जहां वह किसी नागरिक को मृत्यु दण्ड तक दे सकते हैं।

अनुच्छेद 35 में प्रावधान है कि कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए केवल संसद विधि निर्माण कर सकती है, राज्य विधानमण्डल नहीं।

भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के अनुच्छेद 12 और 13 क्रमशः राज्य और उसके अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। अनुच्छेद 12 के अधीन, राज्य में संविधान या कानून के द्वारा बनाए गए सभी पदाधिकारी , जिन्हें कानून द्वारा शक्तियां प्रदान की जाती हैं, आते हैं। जैसे, भारत सरकार तथा संसद, राज्य और विधानमण्डल, भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन

सभी स्थानीय पदाधिकारी आदि। अनुच्छेद 13 के प्रावधानो के अधीन राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा नागरिकों को प्राप्त अधिकारों को बाधित करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा यह अधिकार प्राप्त है कि राज्य द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही किसी भी विधि को अवैध घोषित कर सकता है।

मूल अधिकारों का महत्व

1. ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं।

2. ये व्यक्ति के व्यक्तिगत और नागरिक अधिकारों की रक्षा करते हैं।

3. ये देश में विधि के शासन की स्थापना करते हैं।

4. ये अल्पसंख्यको और देश के पिछड़े हुए वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं।

5. ये भारत की समासिक संस्कृति और धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखने पर बल देते हैं।

6. ये सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं।

7. ये भारतीय शासन व्यवस्था को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार प्रदान करते हैं।